

कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 844 T.R / 2020-21 सन्
1647

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितकरण करने के संबंध में।

| | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| आदेश का क०सं०एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश प की गई कार्रवाई बारे में |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|


27/10/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती जगन्नाथ महन् पिता/पति सोमा महन्
मौजा हेडवाला गाँव थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या-
में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- / के आधार पर दर्ज है।
जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के सामान्य जाति के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

भूमि की विवरणी:-

| मौजा | थाना नं० | खाता नं० | प्लॉट सं० | रकबा |
|---------------------|------------|-----------|------------------------|---|
| <u>हेडवाला गाँव</u> | <u>282</u> | <u>23</u> | <u>24</u> <u>36</u> | <u>2.21</u> <u>1.12</u> <u>3.33 एकर</u> |

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 06/11/2020 को उपस्थापित करें।



अंचल अधिकारी
अड़की।

5/11/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/
भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा
सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि
नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के
नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक
सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती जोगिता मरुते
..... पिता/पति सोना मरुते मौजा-देवलावा.....थाना-अड़की,
जिला-खूँटी के नाम से मौजा-देवलावा थाना नं० 282 खाता सं० 23
प्लॉट सं० 24 36 रकबा-3.33 लगान रुपये अलावे
शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप
ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।


अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-देवलावा
सोना थाना नं० 282 के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-.....पर
ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।


अंचल अधिकारी,
अड़की।